वन क्षेत्रों में अतिक्रमण व अवैध खनन पर कारगर नियंत्रण स्थापित किये जाने हेतु रणनीति के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांकः 22.06.2016 को चकिया स्थिति दिलकुशाा वन विश्राम गृह में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति

काशी वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत अतिक्रमण, अवैध खनन, अवैध कटान आदि वन अपराधों पर कारगर नियत्रण स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.06.2015 को जिलाधिकारी, चन्दौली की अध्यक्षता में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग व वन विभाग के अधिकारियों के साथ चकिया स्थित दिलकुशा वन विश्राम गृह में सम्पन्न हुई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नक्सल प्रभावित काशी वन्य जीव प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैध खनन, आदि समस्यायों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । इसके साथ मण्डलायुक्त महोदय द्वारा अतिक्रमण एवं अवैध खनन के विरुद्ध कारगर कार्यवाही हेतु गठित उप जिलाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की संयुक्त काम्बिंग टीम के सहयोग से खाली कराये गये अतिक्रमण की अद्यतन स्थिति संज्ञान में लाते हुए अवगत कराया गया कि अभी तक इस क्रम में वर्ष 2014–15 में 50 हे0, वर्ष 2015–16 में 14.762 हे0 व वर्ष 2016–17 में अब तक 100 हे0 (कुल 164.762 हे0) वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा सकी है, जबकि अभी कई क्षेत्रों में व भारी मात्रा में अतिक्रमित वनभूमि खाली कराया जाना शेष है । कुछ बड़े अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके कब्जे से वनभूमि को अवमुक्त कराया जाना आवश्यक है ।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी, चकिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चकिया व उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकिया/नौगढ़ की टीम उप जिलाधिकारी, चकिया के नेतृत्व में पुलिस बल व वन विभाग में उपलब्ध फोर्स की सहायता से प्रत्येक माह की निर्धारित तिथियों पर नियमित रूप से कारगर कार्यवाही करें तथा इस हेतु काम्बिंग टीम पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार फोर्स जिसमें पुलिस/पी0ए0सी0/सी0आर0पी0एफ0 व महिला पुलिस बल हों, प्राप्त की जाय । अवैध खनन में संलिप्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय तथा उनके द्वारा खनन व खनन उत्पाद के ढुलान में प्रयुक्त मशीनें/औजार/वाहन सीज कराया जाय । जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चौपाल, गोष्ठी आदि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणो को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है । अतः उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सम्बन्धित थानाध्यक्ष स्थानीय ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर लोगों को अवैध कार्य से विरत रहने, व जनहित में वन सम्पदा की सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने हेतु जागरूक करें जिससे भारतीय वन अधिनियम 1927 में निहित प्राविधानों का समुचित पालन हो व जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण को कोई नुकसान न हो । यह भी निर्देश दिया गया है कि उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय गरीब मजदूर जो प्रलोभन के चलते अवैध खनन का कार्य करते है उनको कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाय, जिस तरह से नौगढ़ मे पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, चकिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चकिया एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चकिया)

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इण्डिया बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के केस में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वनाधिकार के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों (जिनके द्वारा वन भूमि अपने कब्जे में रखा गया है) को अतिक्रमणकारी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश है । जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे 14047 अस्वीकृत दावों के सापेक्ष मात्र 3279 अस्वीकृत दावों की सूची उपलब्ध कराई गई है अवशेष के लिए अनेकों पत्र स्मरण पत्र लिखे गये हैं । अतएव इनसे सभी अस्वीकृत दावों/अपात्र दावेदारों की सूची उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। तद्नुसार उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार वन भूमि अपात्र व्यक्तियों के कब्जे से बेदखल करने हेतु भा0व0अ0 1927 की धारा–61 बी के तहत.320.कुल नोटिस जारी की गई है जिनमें से 39 लोगों को बेदखल भी कर दिया गया है । इस प्रकार की गई बेदखली की कार्यवाही के फलस्वरूप नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत 8.75 हे0 वनभूमि वन विभाग के कब्जे में ली गई है।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी तत्काल अवशेष अस्वीकृत दावों से सम्बन्धित सूची प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करा दें । इसके साथ ही कम्बिंग टीम को निर्देशित किया गया कि कब्जा /अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाय । इसमें पहले चरण में अतिक्रमण कर खेती की जा रही वनभूमि, जो

वर्तमान में रिक्त है, को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्यवाही की जाय तद्उपरान्त किये गये निर्माण कार्य को नियमानुसार हटाया जाय ।

(कार्यवाही–जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली, उप जिलाधिकारी, चकिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चकिया एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चकिया)

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर चकबन्दी प्रकिया के दौरान राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों का नाम इन्द्राज कर दिया गया है। इस प्रकार से खतौनी में वनभूमि काश्तकारों के नाम अंकित होने से अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न हुई है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी एवं एस0ओ0सी0, चकबन्दी का अभिलेखों की जॉच कर अभिलेखों को दुरुस्त कराये जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, चकिया व एस0ओ0सी0 चकबन्दी)

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा काशी वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत अवैध खनन व खनन उत्पादों की अवैध निकासी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और अवगत कराया गया कि आरक्षित वनभूमि पर अवस्थित पहाड़ियों पर अवैध पत्थर खनन पर नियंत्रण हेतु प्रशासन, पुलिस विभाग व वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान के रूप में कार्यवाही की आवश्यकता है । संज्ञान में लाया गया कि प्रभाग की चकिया/ चन्द्रप्रभा रेंज के अन्तर्गत विभिन्न पहाड़ियों यथा– छुछाड़, चुरिहारी, गणेशपुर, चतुरीपुर, गायघाट, अलीपुर भगड़ा, दुलहियादायी आदि पहाड़ियों में अवांछनीय तत्वों/खनन माफियाओं द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को आगे कर चोरी–छिपे अवैध खनन की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में चन्द्रप्रभा रेंज की पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन की निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है । खनन माफियाओं के विरुद्ध कारगर कार्यवाही न हो पाने के कारण इनका मनोबल बढ़ा हुआ है । क्षेत्रीय वन अधिकारी, चन्द्रप्रभा द्वारा अवगत कराया गया है कि चन्द्रप्रभा रेंज की रक्षित वन क्षेत्र की छुछाड़ (ललमनियॉ), चुड़िहारी, गनेशपुर, चतुरीपुर, गायघाट, अलीपुर भगड़ा, दुलहियादायी आदि पहाड़ियों में खनन माफियाओं द्वारा आस–पास के ग्रामीण श्रमिकों के सहयोग से संगठित होकर खनन किया जाता है तथा इसके साथ अब इनके द्वारा जे0सी0बी0 मशीन लगाकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर पत्थर की अवैध निकासी की जा रही है । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कुछ फोटाग्राफ भी दिखाये गये।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि संयुक्त काम्बिंग टीम अपनी देख–रेख में आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स/महिला पुलिस फोर्स प्राप्त कर कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए चन्दौली जनपद में अवैध खनन व खनन उत्पाद की निकासी पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करें । मौके पर कार्यवाही के दौरान हर संभावित निकासी मार्गो पर पुलिस फोर्स तैनात करते हुए सघन जॉच की जाय जिससे अवैध निकासी में संलिप्त वाहन निकल भागने में सफल न हो पाये । प्रत्येक माह की निर्धारित तिथियों में काम्बिंग अभियान के तहत अवैध खनन व निकासी में संलिप्तों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही की जाय व अवैध खनन में प्रयुक्त उपकरणों/मशीनों व वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही मौके पर अवैध खनन में संलिप्तों, वाहनों, उपकरणों आदि का फोटोग्राफी कराते हुए साक्ष्य सहित उनके विरुद्ध संगत धाराओं में एफ0आर0दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाय । जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उप जिलाधिकारी/ पुलिस क्षेत्राधिकारी / क्षेत्रीय वन अधिकारी व सम्बन्धित थानाध्यक्ष स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक/ वार्ता कर उन्हें खनन माफियाओं के बहकावे व प्रलोभन से बचने व उनके अवैधानिक कार्यो में उनका सहयोग न देने व जनहित में राजकीय वन सम्पदा की सुरक्षा में अपना यथोचित योगदान देनें हेतु प्रेरित करें ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, चन्द्रप्रभा द्वारा यह भी बताया गया कि प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की पहाड़ियों से अवैध खनन से उत्पादित पत्थर बोल्डर, पटिया, ढोका आदि खनन माफिया द्वारा ट्रैक्टर व ट्रक द्वारा जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत गैर वन क्षेत्रों में दिये गये खनन पट्टों के लिए जारी एम0एम0–11(निकासी रवन्ना) की आड़ में ढुलान कर बाहर ले जाया जाता है। ज्ञातब्य है कि मिर्जापुर जनपद में चकलठिया, जाफरखानी, लोहराजपुर, भाईपुर आदि ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि पर खनन हेतु जिलाधिकारी,मिर्जापुर द्वारा खनन पट्टे जारी किये गये हैं। यह सभी ग्राम इस वन प्रभाग की चन्द्रप्रभा रेंज की पहाड़ियों से सटे हुए है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को जिलाधिकारी मिर्जापुर को पत्र लिखने व आयुक्त वाराणसी मण्डल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के साथ बैठक कराने हेतु कहा गया जिससे अवैध खनन पर नियंत्रण हेतु कारगर कार्यवाही संभव हो सके ।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, चकिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चकिया एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चकिया,)

जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की टीम द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह के 17 व 28 को पर्याप्त पी0ए0सी0, सी0आर0पी0एफ0, महिला पुलिस बल के

सहयोग से पूर्व में चिन्हांकित अतिक्रमण / अवैध खनन स्थलों की काम्बिंग व कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय । इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय । पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षित है कि वे अपने स्तर से अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वन विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अतिक्रमण, अवैध खनन आदि की रोक–थाम की कार्यवाही में स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त होता रहे तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस फोर्स/पी0ए0सी0/महिला पुलिस भी उपलब्ध कराई जाय । क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा ऐसे अतिक्रमण की सूची में अंकित अतिक्रमित क्षेत्रों को चिन्हांकित कर उप जिलाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर पुलिस बल एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से अतिक्रमित वनभूमि को खाली कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इससे पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय थानाध्यक्ष अतिक्रमित क्षेत्र के समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीणों के साथ संयुक्त गोष्ठी/ चौपाल आयोजित कर उन्हें वनों एवं वन सम्पदा की सुरक्षा के प्रति जागरूक करें तथा उन्हें वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने व अवैध खनन की रोकथाम में राजकीय तन्त्र को पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु प्रेरित करें । कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए चरणबद्ध ढंग से अतिक्रमण खाली कराने व अवैध खनन पर नियंत्रण स्थापित करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में वन अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से अवांछनीय तत्वों / वन अपराधियों के विरुद्ध संगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, चन्दौली, उप जिलाधिकारी, चकिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चकिया एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चकिया,)

(कुमार प्रशान्त)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली ।

पत्रांक – / 31–4 दिनांक, रामनगरी, , 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी ।
2. पुलिस अधीक्षक, चन्दौली ।
3. उप जिलाधिकारी, चकिया ।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकिया/नौगढ़ ।
5. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, चकिया ।
6. एस0ओ0सी0, चकबन्दी ।
7. तहसीलदार, चकिया ।
8. खनन अधिकारी, जनपद–चन्दौली ।
9. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग ।

(कुमार प्रशान्त)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।